



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग  
**NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES**

विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विभिन्न  
सुरक्षणों एवं कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा

**Review of Working of various safeguards and programmes for  
development of Scheduled Tribes in  
UNIVERSITY/ EDUCATIONAL INSTITUTIONS**

विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान का नाम.....

Name of the University/Educational Institution .....

विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान का पता.....

Address of the University/ Educational Institution. ....

वेबसाइट पता:.....

Website address : .....

**1. सामान्य**

**General**

प्रशासनिक कार्यालय/कुलसचिव का कार्यालय

**Administrative Office/ Registrar's Office**

कुलसचिव का नाम:

Name of the Registrar:

कार्यालय का पता:

Office address:

दूरभाष कार्यालय:.....

फैक्स:.....

ई-मेल:.....

Telephone Office: \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

कृपया प्रस्तुत करें

Please furnish



- (i) विश्वविद्यालय के कुलपति/निदेशक/संस्थान के प्रमुख के नाम एवं पते का ब्यौरा:

Name and Contact details of the Vice-Chancellor of University/ Director/ Head of Institution :

नाम :

Name :

पदनाम :

Designation :

पता :

Address :

दूरभाष कार्यालय : कार्यालय ..... फ़ैक्स:..... मोबाइल:

Telephone : Office: \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Mob: \_\_\_\_\_

ई-मेल:.....

E-mail ID :

- (ii) विश्वविद्यालय/संस्थान में अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नामित अधिकारी अथवा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सूचना प्रस्तुत करने के लिए पदनामित अधिकारी का ब्यौरा:

Details of the Officer nominated as Liaison Officer for STs in the University/ Institution or the Officer designated to furnish information to the NCST:

नाम :

Name :

पदनाम :

Designation :

पता :

Address :

दूरभाष कार्यालय : कार्यालय ..... फ़ैक्स:..... मोबाइल:.....

Telephone : Office: \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ Mob: \_\_\_\_\_

ई-मेल:.....

Email ID :

कृपया प्रस्तुत करें

Please furnish



- (iii) विश्वविद्यालय/संस्थान के शासी निकाय की संरचना। कृपया यह दर्शाए कि क्या शासी निकाय का कोई भी सदस्य अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।

The composition of the Governing body of the University/Institution. Please indicate whether any of the GB members belongs to ST.

- (iv) प्रशासनिक, परीक्षा, शैक्षिक, खेल-कूद, अनुसंधान एवं अन्य विभागों/संकायों इत्यादि को दर्शाते हुए विश्वविद्यालय/संस्थान के संगठनात्मक गठन को दर्शाने वाला एक चार्ट।

A chart showing the Organisational set-up of the University/ Institution indicating Administrative, Examination, Academic, sports, research and other Divisions/ faculties etc

- (v) विश्वविद्यालय/संस्थान के निर्णय लेने वाली कार्यकारिणी-परिषद्/शीर्ष निकाय की संरचना तथा उसके कर्तव्यों, शक्तियों एवं कार्य पद्धति, विशेषतया दाखिले में आरक्षण नीति के क्रियान्वयन और विश्वविद्यालय/संस्थान में रोजगार के संबंध में एक नोट।

A Note regarding Composition of the Decision taking Executive Council/Apex Body of the University/Institution and its duties, powers and functioning, particularly w.r.t. implementation of reservation policy in admissions and employment in the University/ Institution.

इसके अतिरिक्त दर्शाए कि क्या कार्यकारिणी-परिषद्/शीर्ष निकाय का कोई भी सदस्य अनुसूचित जनजाति से संबंधित है।

Also indicate whether any of the Member of EC/AB belongs to ST.

- (vi) विश्वविद्यालय/संस्थान की शैक्षणिक परिषद् की संरचना और इसके कर्तव्यों, शक्तियों एवं कार्यपद्धति विशेषतया अनुसूचित जनजातियों की आवश्यकताओं, समस्याओं और विकास से संबंधित विषय के समावेशन तथा विश्वविद्यालयों/संस्थान में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में जनजातीय नेताओं तथा दाखिले में आरक्षण के संबंध में एक नोट।

A Note regarding Composition of the Academic Council of the University/ Institution and its duties, powers and functioning, particularly w.r.t. inclusion of subject relating to the needs, problems and development of Scheduled Tribes and the tribal leaders in various courses taught in the University/ Institution and reservation in admission.

- (vii) विश्वविद्यालय/संस्थान की स्थापना एवं अब तक के कामकाज में प्रगति के संबंध में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि युक्त एक नोट।

A Note containing historical background regarding establishing the University/ Institution and developments upto present day functioning.

- (viii) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा की गई अंतिम समीक्षा की तारीख.....

Last Review by National Commission for Scheduled Tribes held on .....



- (ix) अंतिम समीक्षा में आयोग द्वारा किए गए अवलोकनों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, आयोग को प्रस्तुत करने की तारीख.....

Action taken report (ATR) on the observations made by the Commission in the last review, furnished to Commission on .....

कृपया प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न करें।

(Please attach a copy of the ATR submitted

## **2. अकादमिक (शैक्षिक)**

### **Academic**

#### **2.1 संकाय, पाठ्यक्रम तथा नामांकन**

#### **FACULTIES, COURSES AND ENROLMENT**

- (i) कृपया प्रस्तुत करें

Please furnish

- (a) विभिन्न पाठ्यक्रमों के दाखिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की नीति तथा विभिन्न अकादमिक पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के दाखिले के लिए विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के क्रियान्वयन पर एक नोट।

A Note on the policy of reservation for Scheduled Tribes in admission to various courses and the implementation process prescribed by the University/ Institution for admission of ST candidates into various academic courses.

- (b) विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए आरक्षण की निर्धारित प्रतिशतता  
The prescribed percentage of reservation for Scheduled Tribe students in various courses

- (ii) कृपया प्रस्तुत करें

Please furnish

निम्नलिखित सारणी में प्रत्येक अंतिम तीन अकादमिक वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय में पूर्व-स्नातक, स्नातकोत्तर और उच्च स्तर पर पढ़ाए जाने वाले डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की तथा प्रत्येक पाठ्यक्रम में दाखिला लिए हुए अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की संकाय/विभाग-वार सूची।

Faculty/Department-wise list of Degree and Diploma courses taught in the University at Under-graduate, Post-graduate and higher level and the ST students admitted in each course during each of the last three Academic Years (AY), in the following Table.



स्नातक पाठ्यक्रम  
UNDER GRADUATE COURSES

[illegible]

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम  
POST-GRADUATE COURSES

[illegible]



[illegible]

**पीएच.डी.पाठ्यक्रम**  
**Ph.D. COURSES**

[illegible]

स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न अध्ययन के विषयों में विशेषीकृत पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु सीटों का आरक्षण करने के लिए क्या मापदंड है? क्या यह चक्रानुक्रम या किसी अन्य विधि द्वारा है? कृपया विवरण प्रस्तुत करें।

What is the criterion for making reservation of seats for STs for making admission to specialized courses in various disciplines at PG level? Is it by rotation or any other method? Please furnish details.



## 2.2 छात्रवृत्ति एवं अनुसंधान फ़ैलोशिप

### SCHOLARSHIPS AND RESEARCH FELLOWSHIPS

- (i) कृपया विश्वविद्यालय/संस्थान के विभिन्न विद्यार्थियों को उपलब्ध तथा केवल अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को उपलब्ध छात्रवृत्तियों एवं अनुसंधान फ़ैलोशिप का विवरण प्रस्तुत करें।

Please furnish details of various Scholarships and Research Fellowships available to various students of the University/ Institution and those exclusively available for ST students.

- (ii) कृपया छात्रवृत्तियों एवं अनुसंधान फ़ैलोशिप की स्वीकृति और विद्यार्थियों को इसके भुगतान के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं को विस्तार से प्रस्तुत करें। क्या अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए कोई पृथक स्कीम/प्रक्रिया है?

Please furnish in detail the procedure prescribed for grant of scholarships and award of Research Fellowships and its payments to the students. Is there any separate scheme/ procedure in respect of students belonging to Scheduled Tribes?

- (iii) विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने की प्रक्रिया क्या है? अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्राप्त करने में क्या समस्याएं या कठिनाइयां हैं?

What is the procedure for grant of Govt. of India scholarships to ST students pursuing various courses in the University/Educational Institution? What are the problems or difficulties in obtaining scholarship to ST students?

- (iv) कृपया अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न विकासात्मक पहलुओं से संबंधित मामलों पर अनुसंधान अध्ययनों/फ़ैलोशिप का विवरण प्रस्तुत करें।

Please furnish details of Research studies/ fellowships awarded on matters relating to various developmental aspect of Scheduled Tribes.

- (v) कृपया राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के अलावा उस राज्य में जिसमें विश्वविद्यालय संस्थान स्थित है, से संबंधित सामान्य एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों द्वारा सामना की जा रहे समस्याओं के बारे में भी सूचना प्रस्तुत करें।

Please also furnish information about the problems being faced, in academic activities and payments of fees/ scholarships etc. by the general and Scheduled Tribe students who belong to States/UTs other than the State in which University/ Institution is located.



## छात्रावास निवास

### HOSTEL ACCOMODATION

- (i) क्या स्नातक/स्नातकोत्तर एवं विशेषीकृत अध्ययन विषयों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास की सुविधाएं उपलब्ध हैं, यदि हां तो कृपया इंगित करें कि क्या छात्रावास की सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं और कुल उपलब्ध सीटों में से अनुसूचित जनजातियों द्वारा धारित छात्रावास की सीटों की संख्या बताएं।

**Whether Hostel facilities are available for the students of undergraduate, postgraduate & specialized disciplines? If so, please indicate whether hostel seats are reserved for Scheduled Tribes and the no. of hostel seats occupied by Scheduled Tribes out of total seats available.**

- (ii) क्या विश्वविद्यालय में पृथक महिला छात्रावास एवं अनुसूचित जनजाति लड़कों एवं लड़की विद्यार्थियों के लिए पृथक छात्रावास हैं? कृपया विवरण प्रस्तुत करें।

**Whether there are separate women hostels and hostels for Scheduled Tribes boys and girl students in the University? Please furnish details**

- (iii) कृपया इंगित करें कि क्या छात्रावास की सीटें (या एक हॉस्टल ब्लॉक) अनुसूचित जनजाति लड़कों के लिए छात्रावासों तथा अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए छात्रावासों की केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष रूप से जोड़ी गई थी। यदि हां तो जोड़ी गयी सीटों का व्यौरा प्रस्तुत करें।

**Please indicate whether hostel seats (or a Hostel block) were added specially for STs with the Central Assistance under the Central Sector/Centrally Sponsored Scheme of Hostels for ST Boys and Hostels for ST Girls. If so, details of the seats added may be furnished.**

- (iv) कृपया अनुसूचित जनजाति लड़कों और अनुसूचित जनजाति लड़कियों के लिए नए छात्रावासों के निर्माण के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदानों तथा उन सभी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति का विवरण प्रस्तुत करें।

**Please furnish details of grants received from State Government and Central Government for construction of hostels exclusively for ST Boys and ST Girls respectively and the present status of those projects.**

- (v) कृपया (i) पाठ्यक्रमों के अनुसरण में, (ii) छात्रवृत्तियों एवं अनुसंधान फ़ैलोशिप के भुगतान में तथा (iii) छात्रावास में रहने की सामान्य एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित लड़के तथा लड़की विद्यार्थियों द्वारा सामना की जा रहे समस्याओं का विवरण प्रस्तुत करें।

**Please furnish in detail the problem(s) being faced by the boys and girls student belonging to general and Scheduled Tribe category (i) in pursuing the courses, (ii) in disbursement of scholarships and Research Fellowships and (iii) living in the Hostels.**



**3. अनुसूचित जनजातियों के वास्तविक दावों का सत्यापन**

**Verification of genuine claims of Scheduled Tribes**

**3.i विश्वविद्यालय/संस्थान में रोजगार के मामले में**

**IN THE MATTER OF EMPLOYMENT IN UNIVERSITY/INSTITUTION**

**(A) अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के वास्तविक दावों की जांच करने की प्रक्रिया क्या है:**

What is the procedure for examination of genuine claims of ST candidates :

**(i) प्रारंभिक भर्ती पर**

On Initial recruitment.

**(ii) पदोन्नति पर**

On Promotion

**(iii) कर्मचारी के सेवा के दौरान शिकायत प्राप्त होने पर**

On Receipt of complaint during the service of the employee.

**(B) कृपया बताएं**

Please state:

(क) क्या अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से संबंधित/प्रवासित अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की पात्रता या अपात्रता, विज्ञापन में/आवेदन आमंत्रित करने वाले परिपत्र में स्पष्ट की गयी है?

(a) Whether eligibility or ineligibility of ST candidates belonging to / migrated from other States/ UTs is made clear in the advertisement/ Circular inviting applications

(ख) क्या यह भी उल्लेख किया गया है कि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, आवेदन/नियुक्ति के पहले उम्मीदवार की जाति प्रमाण पत्र की वैधता, जारी करने वाले राज्य की जाति प्रमाण पत्र संविज्ञा समिति द्वारा की जानी आवश्यक है।

(b) Whether it is also mentioned that, as per directions of the Supreme Court of India, validation of caste certificate of the candidate by the caste certificate scrutiny Committee of the State of issue is a must, before applying/ appointment is compulsory.

**(C) कृपया अंतिम तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान जांच किए गए दावों की संख्या तथा भर्ती के समय मूल रूप से पाए गए नकली/जाली दावों की सूची तथा प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई को प्रस्तुत करें।**

Please furnish the number of claims checked and the list of claims actually found false/ fake at the time of recruitment and the action taken in each case during last three calendar years.

**(D) कृपया अंतिम तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान पदोन्नति के समय पाए गए नकली/जाली दावों की सूची तथा प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई को प्रस्तुत करें।**

Please furnish list of claims found false/fake at the time of promotion and the action taken in each case during last three calendar years.



- (E) कृपया अंतिम तीन वर्षों के दौरान उन मामलों की सूची प्रस्तुत करें जिसमें अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार, अनुसूचित जनजाति सूची से उनके समुदाय को हटा देने के कारण अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के रूप में पदोन्नति के लिए अपात्र पाए गए थे।

Please furnish list of cases in which ST candidates were found in-eligible for promotion as ST candidates due to deletion of their community from ST list, during last three calendar years.

- (F) कृपया अंतिम तीन वर्षों के दौरान उन कर्मचारियों का विवरण प्रस्तुत करें जिनके विरुद्ध जाली/नकली/धोखाधड़ी आधार पर अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के रूप में रोजगार प्राप्त करने के लिए सेवा के दौरान शिकायत प्राप्त की गई, प्रत्येक मामले में कार्रवाई की गई (जांच की गई) और सत्य पाए जाने वाले शिकायतों में सक्षम प्राधिकारी/अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा अंतिम निपटान निर्णय लिया गया।

Please furnish details of employees against whom complaints were received during service for obtaining employment as ST candidates on false/ fake/ fraudulent basis during last three calendar years, action taken (investigation made) in each case and the final disposal/ decision taken by the competent authority/ disciplinary authority in the event of the complaint having been found true.

### 3.II अकादमिक पाठ्यक्रमों में दाखिले के मामले में

#### IN THE MATTER OF ADMISSIONS INTO ACADEMIC COURSES

- (A) अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के वास्तविक दावों की जांच की प्रक्रिया क्या है:

What is the procedure for examination of genuine claims of ST candidates :

- (i) दाखिले के समय

At the time of Admission.

- (ii) पाठ्यक्रम अध्ययन के दौरान प्राप्त शिकायत पर

On receipt of complaint during the course of study

- (iii) पाठ्यक्रम अध्ययन को पूरा करने के बाद प्राप्त शिकायत पर

On receipt of complaint after completion of course of study

- (B) कृपया बताएं:

Please state:

- (i) क्या विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले सभी राज्यों से सामान्य एवं अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए खुला है अथवा केवल विशेष राज्यों के लिए प्रतिबंधित है।

Whether admission to various courses is open to general and ST students from all States or restricted to particular State (s) only.

- (ii) क्या अन्य राज्यों/संघ शासित प्रदेशों से संबंधित/प्रवासित अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की पात्रता या अपात्रता प्रवेश के लिए फार्म आमंत्रित करने वाले विज्ञापन/ब्रोचर में स्पष्ट किया गया है।

Whether eligibility or ineligibility of ST candidates belonging to /



migrated from other States/ UTs is made clear in the advertisement/ Brochure inviting admission forms.

- (iii) क्या यह भी उल्लेख किया गया है कि, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशानुसार, दाखिले के आवेदन से पहले उम्मीदवार की जाति प्रमाण पत्र की वैधता, जारी करने वाले राज्य की जाति प्रमाण पत्र संविक्षा/वैधता द्वारा की जानी आवश्यक है।

Whether it is also mentioned in the advertisement/ Admission Brochure that, as per directions of the Supreme Court of India, validation of caste certificate of the candidate by the caste certificate scrutiny/ Validation Committee of the State of issue is a must before applying for admission.

- (C) कृपया अंतिम तीन कैलेंडर वर्षों के दौरान जांच की गई दावों की संख्या तथा दाखिले के समय मूल रूप से पाए गए नकली/जाली दावों की सूची तथा प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई को प्रस्तुत करें।

Please furnish the number of claims checked and the list of claims actually found false/ fake at the time of admission during last three academic years and the action taken in each case.

- (D) कृपया अंतिम तीन वर्षों के दौरान उन विद्यार्थियों का विवरण प्रस्तुत करें जिनके विरुद्ध जाली/नकली/कपटपूर्ण आधार पर अथवा अपात्र उम्मीदवार के रूप में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के रूप में दाखिला लेने के लिए पाठ्यक्रमों के अध्ययन के दौरान प्राप्त करने के लिए शिकायत प्राप्त की गई, प्रत्येक मामले में कार्रवाई की गई (जांच की गई) और सत्य पाई जाने वाली शिकायतों में सक्षम प्राधिकारी/अनुशासनात्मक अधिकारी द्वारा अंतिम निपटान निर्णय लिया गया।

Please furnish details of students against whom complaints were received during the course of study for having got admission as ST candidates on false/ fake/ fraudulent basis, or as ineligible candidate, during last three academic years, action taken (investigation made) in each case and the final disposal of case/ decision taken by the competent authority/ disciplinary authority in the event of the complaint having been found true.

#### 4. रोजगार में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

##### **Implementation of policy of reservation in Employment**

#### 4.(i) अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों का आरक्षण

##### **Reservation of posts for Scheduled Tribes**

- (i) कृपया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पक्ष में लागू आरक्षण की प्रतिशतता और निम्न के संबंध में तारीख बताएं जब से प्रवर्तन में आई:-

Please state the percentage of reservation applicable in favour of SC/ST in employment and the dates from which enforced in respect of :-

- (a) सीधी भर्ती द्वारा भरे गए पद



**Posts filled by direct recruitment**

- (b) पदोन्नति द्वारा भरे गए पद  
Posts filled by promotion

- (ii) कृपया अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को दी गई रियायतों/छूट को इंगित करते हुए विभिन्न ग्रेडों में पदों की विभिन्न श्रेणियों में सीधी भर्ती के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया बताएं।

Please state the procedure followed for direct recruitment to various categories of posts in various grades/indicating the concessions/relaxation given to SCs/STs.

- (iii) कृपया पदोन्नति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को दी जाने वाली छूट/रियायत को इंगित करते हुए विश्वविद्यालय/संस्थान में अनुसरण की जाने वाली पदोन्नति में आरक्षण नीति दर्शाएं।

Please state the reservation policy in promotion followed in the University/ Institution indicating the relaxation/concession given to SC/ST employees in promotions.

- (iv) संगठन में तकनीकी एवं गैर तकनीकी दोनों प्रकार के पदों की श्रेणियां कौन-सी हैं जिनके लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण विहित नहीं है और उसके कारण बताएं। सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के पदों के लिए ऐसे पदों का स्तर, वेतन श्रृंखला और ऐसे पदों की संख्या को भी इंगित करते हुए पृथक रूप से सूचना दी जाए।

What are the categories of posts in the Organisation both technical and non-technical for which reservation for SC/ST is exempt or reservation has not been prescribed and the reasons thereof? Information may be given separately for direct recruitment and promotion of posts indicating also the level, pay scales and number of such posts.

- (v) क्या संगठन एवं कर्मचारी संघों के बीच कोई मौजूदा करार हैं जो सीधी भर्ती, पदोन्नति और विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आरक्षण पर सरकारी नीति के मार्ग में आते हैं। यदि ऐसा है तो विवरण दें।

Are there any subsisting agreements between the Organisation and the Employees Unions which come in the way of Government Policy on reservation for SC & ST in the matter of direct recruitment, promotion and admission to various courses? If so, give details.

- (vi) कृपया निम्नलिखित प्रपत्र में (अलग-अलग) विश्वविद्यालय/संस्थान में (i) जब से आरक्षण प्रवर्तन में आया उस तिथि (ii) 02.07.1997 (पद आधारित रोस्टर के लागू होने की तारीख) (iii) 01.01.2014 और (iv) 01.01.2021 को अलग-अलग स्टाफ संख्या दर्शाते हुए एक विवरण प्रस्तुत करें:-

Please furnish a statement showing staff strength separately as on (i) the date when reservation were enforced in the University/ Institution, (ii) 02.07.1997 (date of implementation of Post Based Roster) (iii) 1.1.2014 and (iv) 01.01.2023 in the prescribed Performa (separately as on each date).



## TABLE

**(02.07.1997 के अनुसार)**  
**(As on 02.07.1997)**

[illegible]

(01.01.2014 के अनुसार)  
(As on 01.01.2014)

[illegible]

**(01.01.2023 के अनुसार)**  
**(As on 01.01.2023)**

[illegible]







1947-1948

- E. coli*

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

10

क लिए अब

- विशेष मताः



- (xiii) क्या मानव संसाधन विकास नीति में अपनी कमियों को दूर करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने हेतु अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए कोई अतिरिक्त सहयोग/प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के लिए कोई प्रावधान है। कर्मचारियों की प्रत्येक श्रेणी के लिए ऐसे प्रावधानों का विवरण दें।

Is there any provision in the HRD Policy to provide extra support/training to ST employees to enable them to cover up their deficiencies? The details of such provisions may be spelt out for each category of employees.

- (xiv) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक एकक/स्थापना से विशेषीकृत प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए कर्मचारियों की संख्या एवं प्रत्येक वर्ष में उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या बताएं।

Please give the number of employees sent for specialised training abroad during the last three years and the number of SC/ST employees among them in each year from each Unit/Establishment.

- (xv) क्या उन पदों के लिए विभिन्न भर्ती बोर्डों/चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों में अनुसूचित जनजाति का कोई प्रतिनिधि शामिल किया जाता है जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए छूट/रियायतें लागू हैं। यदि हां तो, कृपया भर्ती बोर्डों/चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों के सदस्य की तुलना में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का स्तर इंगित करें।

Whether any representative of ST included in various Recruitment/Board/Selection/ Committees/DPCs for the posts wherein reservations/concessions for SC/ST are applicable? If so, the level of SC/ST representation as compared to the member of the Recruitment Boards/Selection Committees/DPCs may please be indicated.

- (xvi) क्या सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की संख्या स्पष्ट रूप से इंगित की जाती है? कृपया यह भी बताएं कि क्या विज्ञापनों की प्रतियां अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संघ और संगठनों को भेजी जाती है।

Whether number of posts reserved for STs is clearly indicated in the advertisement for direct recruitment? Also, please state whether copies of advertisement are sent to Welfare Association and Organisations of SCs and STs.

- (xvii) क्या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार अलग तारीखों अर्थात् विभिन्न पदों के लिए सामान्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के दिन को छोड़कर अन्य दिनों को लिया जाता है?

Are the ST candidates interviewed on separate dates i.e. other than the days on which the general candidates are interviewed for various posts?

#### 4.(ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों का अनारक्षण (डि-रिजर्वेशन)

##### **Dereservation of posts reserved for Scheduled Tribes**

- (i) अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के डि-रिजर्वेशन के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाओं को बताएं।

State the procedure followed for de-reservation of vacancies reserved for Scheduled Tribes.

- (ii) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान अनारक्षित, आगे ले जायी गयी एवं प्रत्येक श्रेणी के पदों के संबंध में पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष/वर्षों में अनुसूचित जनजातियों उम्मीदवारों द्वारा भरी गई रिक्तियों का



विवरण प्रस्तुत करें।

Please, give the details of vacancies de-reserved, carried forward and those filled by the ST candidates in the subsequent recruitment year(s) in respect of each category of posts during the last three year.

- (iii) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पदों का विवरण दें जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थी परंतु अन्य आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से विनिमय कर पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा भरी गई। इसके अलावा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी से इस तरह के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपनाए गए प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करें।

Please give details of posts which were reserved for STs but were filled up by promotion/direct recruitment by exchange from other reserved category candidates during the last three years. Also furnish details of the procedure adopted for obtaining such approval from the prescribed competent Authority.

- (iv) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान उन पदों का विवरण दें जो अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित थी परंतु सामान्य उम्मीदवारों से पदोन्नति/सीधी भर्ती द्वारा भरी गई। इसके अलावा, निर्धारित सक्षम प्राधिकारी से इस तरह के अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत करें।

Please give details of posts which were reserved for STs but were filled up by promotion/ direct recruitment from general candidates during the last three years. Also furnish details of the procedure adopted for obtaining such approval from the prescribed competent Authority.

- 4.(iii) आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए मॉनिटर करने की प्रणाली—अनुसूचित जनजाति के लिए संपर्क अधिकारी**

**Monitoring System for implementation of reservation policy-  
Liaison Officer for Scheduled Tribes.**

- (a) विश्वविद्यालय/संस्थान में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन के लिए मॉनिटर करने की प्रणाली क्या है?

What is the Monitoring System for implementation of reservation policy in the University/Institution.

- (b) अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की शिकायतों के निवारण के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है?

What is the procedure prescribed for redressal of grievances of ST employees and students?

- (c) क्या संगठन में अनुसूचित जनजातियों के लिए संपर्क अधिकारी नियुक्त किया गया है?  
Has the Organisation appointed a Liaison Officer for Scheduled Tribes?

यदि हां तो कृपया संपर्क अधिकारी के स्तर की स्थिति इंगित करें?

If so, please indicate the position of the level of Liaison Officer?

क्या वही संपर्क अधिकारी अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों की शिकायतों को भी देखता है?

Whether the same LO looks into the grievances of ST students?



- (d) क्या संपर्क अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापना की गई है?

Has SC/ST Cell been set-up under the direct control of Liaison Officer?

यदि हां तो कृपया इस प्रकोष्ठ की संरचना और इससे संबद्ध स्टाफ को इंगित करें।

If so, please indicate the composition of this cell and the staff attached to it?

- (e) क्या अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों और विद्यार्थियों की शिकायतें दर्ज करने के लिए शिकायत पंजिका का रख रखाव किया जा रहा है? क्या कम्प्यूटरीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रचालन में है?

Is a complaint register being maintained in order to register grievance of ST employees and ST students respectively? Is a computerised Grievance Management System in operation?

यदि नहीं तो उसके कारण और उसको लागू करने के अनुमानित समय-सीमा?

If not, reasons thereof and the expected time-frame for its introduction?

- (f) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं?

How many complaints were received from ST employees and ST students during each of the last three years?

- (g) इन शिकायतों की प्रकृति, पक्ष में निपटायी गई शिकायतों की संख्या और प्रत्येक शिकायत के निपटान के लिए लिया गया समय क्या था?

What was the nature of these complaints, the number of complaints disposed of favourably and the time taken for disposal of each complaint?

निपटान के लिए लंबित शिकायतों की संख्या एवं प्रकृति भी प्रस्तुत करें।

The number and nature of complaints still pending for disposal?

- (h) क्या संगठन में अस्तित्व/ कार्यरत/ आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र हैं।

Whether internal grievance redressal mechanism is existent/ functional in the Organisation

- (i) प्राप्त शिकायतों की संख्या

Number of grievances received

- (ii) निवारण शिकायतों की संख्या

Number of grievances addressed

- (iii) लंबित शिकायतों की संख्या

Number of grievances pending

- (i) क्या संपर्क अधिकारी के समक्ष सामाजिक उत्पत्ति के आधार पर अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों/विद्यार्थियों के विरुद्ध उत्पीड़न या भेदभाव का कोई मामला आया है? यदि हां तो, पिछले 3 वर्षों के दौरान ऐसे मामलों की संख्या एवं इनमें विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई कार्रवाई?

Has LO come across any case(s) of harassment or discrimination against ST employees/ students on grounds of social origin? If yes, the number of such cases during the last three years and the action taken therein by the University/Institution?



- (j) क्या संगठन के ध्यान में अनुसूचित जनजाति महिला कर्मचारी के यौन उत्पीड़न का कोई भी मामला लाया गया है? यदि हां तो कृपया इसका तथा इस पर की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें।  
Has any case of sexual harassment of ST women employees been brought to the notice of the Organisation? If so, please furnish the details thereof and action taken.
- (k) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों/विद्यार्थियों की शिकायतों, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राज्य सरकार/संविक्षा समिति या किसी अन्य प्राधिकारी से प्राप्त अनुसूचित जनजाति के रूप में झूठे दावे की शिकायतों एवं उन मामलों के निपटान की स्थिति का विवरण प्रस्तुत करें।  
Please furnish details of cases of grievances of ST employees/ students, complaints of false claim as ST received during last three years from National Commission for Scheduled Tribes, State Government/ Scrutiny Committee or any other authority and the status of disposal of those cases.
- (l) क्या प्रबंधन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की समस्याओं और शिकायतों का निवारण करने के लिए आवधिक बैठकें आयोजित करता है? कृपया अंतिम तीन वर्षों में आयोजित की गई बैठकों के बारे में विवरण प्रस्तुत करें।  
Does the Management hold periodical meetings with SC/ST employees and students to sort out their problems and grievances? Please furnish details about the meetings held in the last three years.
- (m) क्या रोस्टर्स का संपर्क अधिकारी द्वारा आवधिक निरीक्षण किया जा रहा है? यदि हां तो कृपया पिछले तीन वर्षों के लिए संपर्क अधिकारी की निरीक्षण रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत करें।  
Are the rosters being periodically inspected by Liaison Officer? If so, action taken on the inspection reports of the Liaison Officer for the last three years.
- (n) विश्वविद्यालय/संस्थान के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के दाखिले की प्रक्रिया के दौरान संपर्क अधिकारी की क्या भूमिका होती है?  
What is the role played by the LO during the process of admission of ST students into various courses under the University/Institution.
- (o) क्या कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के निर्देशानुसार वार्षिक रिपोर्ट, प्रशासनिक मंत्रालय/कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजी जा रही है? कृपया पिछले तीन वर्षों के संबंध में विवरण प्रस्तुत करें।  
Whether Annual Reports as prescribed by DoPT are being furnished to the Administrative Ministry/ Department of Personnel & Training ?  
Please furnish details regarding last three years.

## 5. अन्य संबंधित मुद्दे

### Other related issues

- (i) कृपया पिछले तीन वर्षों के दौरान गांवों को गोद लेने, जनजातीय क्षेत्रों का विकास, ऐसे बिन्दुओं पर अनुसंधान जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जनजातियों और/या जनजातीय क्षेत्रों के लिए लाभप्रद हों तथा गरीब अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों को निःशुल्क शिक्षा जैसे अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और समाजार्थिक विकास के लिए विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों/अनुसंधान अध्ययनों का विवरण प्रस्तुत करें।  
Please give the details of the various activities and research studies taken up by the University/Educational Institution for the welfare and socio-economic



development of STs like adoption of villages, development in tribal areas, research on topics which are to benefit the Scheduled Tribes and/or tribal areas, directly or indirectly and free education to poor ST persons during the last three years.

- (ii) क्या आपके संगठन में सेवाओं/पदों में अनुसूचित जनजाति (अनुसूचित जाति के रूप में भी) के प्रतिनिधि से संबंधित पृथक अध्याय/अनुच्छेद, आपके संगठन के वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जा रहा है?

Whether a separate Chapter/ paragraph relating to representation of Scheduled Tribes (as also of Scheduled Castes) in services/posts in your organization and is being incorporated in the Annual Report of your Organization?

- (iii) कृपया जिन्हें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं ऐसे कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के ऐसे कर्मचारियों की संख्या इंगित करें जिन्हें सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं।

Please indicate the number of Scheduled Tribes who have been allotted official residential accommodation against the total number of employees provided such facilities.